इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 11, शक 1933

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 2-13-2011-छब्बीस-1.—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 32 के अधीन नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन के लिये राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8-3-2004-आं.प्र.-एक, दिनांक 2 अप्रैल 2004 द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. उक्त समिति के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची-एक में उल्लिखित 22 विभागों की स्थापनाओं में अनुसूची-दो में दिए गए ब्यौरों के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पदों का चिन्हांकन करती है:—

अनुसूची-एक

1. परिवहन विभाग
2. वाणिज्यिक कर विभाग
3. राजस्व विभाग
4. श्रम विभाग
5. आयुष विभाग
6. स्कूल शिक्षा विभाग
7. जन सम्पर्क विभाग
8. संस्कृति विभाग
9. पशुपालन विभाग
10. गृह विभाग
11. चिकित्सा शिक्षा विभाग
12. पुनर्वास विभाग
13. जन शिकायत निवारण विभाग
14. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
15. विमानन विभाग
16. संसदीय कार्य विभाग
17. नर्मदा घाटी विकास विभाग
18. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
19. लोक सेवा प्रबंधन विभाग
20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
21. सार्वजनिक उपक्रम विभाग
22. जैव विविधता विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना तेलंग, उपसचिव.

संविदा शाला शिक्षकों की लगभग कार्यरत् संख्या

वर्तमान में कार्यरत लगभग संविदा शाला शिक्षक की संख्या

क्र	पूर्व का संवर्ग	प्रदेश स्तर पर वर्तमान में कार्यरत् लगभग संख्या			स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत् लगभग संख्या				
		स्वीकृत एवं कार्यरत	अस्थि बाधित हेतु आरक्षित (4 प्रतिशत)	दृष्टि बाधित हेतु आरक्षित (2 प्रतिशत)	स्वीकृत एवं कार्यरत	अस्थि बाधित हेतु आरक्षित (4 प्रतिशत)	दृष्टि बाधित हेतु आरक्षित (2 प्रतिशत)	श्रवण बाधित हेतु आरक्षित (2 प्रतिशत)	रिर्माक
1.	सं.शा.शि. वर्ग–1	2658	106	53	2045	81	40	–	भारत सरकार द्वारा मूक एवं बधिर निःशक्त व्यक्ति का चिन्हाकन शिक्षकीय पद के लिए नहीं किया गया है। इसी अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षकों के पद श्रवण बाधित निःशक्त व्यक्तियो के लिए चिन्हांकित नहीं किये गये है। इनके 2 प्रतिशत पदो का अंतरण सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 24.03.06 द्वारा अस्थि बाधित में किया गया है।
2.	सं.शा.शि. वर्ग–2	14111	564	282	10855	434	217	–	
3.	सं.शा.शि. वर्ग–3	28865	1154	577	22205	888	444	–	
		45634	1824	912	35105	1403	701		

संविदा शाला शिक्षक स्थानीय निकाय यथा पंचायत एवं नगरीय निकाय के कर्मचारी है। निःशक्तजनों के आरक्षण का दायित्व शासन द्वारा जिला कलेक्टर को दिया गया है।

स0क0	विषय / विषय समूह	सं0शा0शि0	अस्थि विकलांगता		दृष्टि विकलांगता		श्रवण बाधित विकलांगता
			शा0अपे0	विक0वर्गी0	शा0अपे0	विक0वर्गी0	
1	हिन्दी, अंग्रेजी संस्कृत, ऊर्दू इतिहास राजनीति शास्त्रा अर्थ शास्त्रा	श्रेणी–1	SE, H, S, F RW	OL, BL, OA	ST, H,	B, LV	--
2	रसायन विज्ञान भौतिक गृह विज्ञान कृषि, भूगोल जीव विज्ञान	श्रेणी–1	SE, H, S, F, RW	OA, OL, BL	ST, H, S, F, SE	LV	--
3	गणित वाणिज्य	श्रेणी–1	SE, H, S, F RW	OL, OA BL	ST, H, S, F, SE	LV	--
4	गणित समूह (गणित भौतिक रसायन)	श्रेणी–2	SE, H, S, F RW	OA, OL, BL	ST, H, S, F, SE,	LV	--
5	विज्ञान समूह (जीव विज्ञान भौतिक रसायन)	श्रेणी–2	SE, H, S, F, RW	OA, OL, BL	ST, H, SE, S, F	LV	--
6	सामाजिक विज्ञान समूह (इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्रा अर्थ शास्त्रा)	श्रेणी–2	SE, H, S, F, RW	OA, OL, BL	ST, H, S, F SE	B, LV	--
7	कक्षा 1–5 समस्त विषय	श्रेणी–3	SE, H, S, F RW	OA, OL, BL	ST, H, S, F SE	LV	--

(शा0अपे0–शारीरिक अपेक्षताएं तथा विक0वर्गी0–विकलांगता वर्गीकरण)